दिनांक 03.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 558 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 03.11.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई** द्वारा सलमान निवासी साहेलपुर कोटला थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ से परिवार रजिस्टर की नकल देने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक कैलाश चन्द्र के नेतृत्व में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी हापुड़ से **ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार (सालेहपुर कोटला कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी हापुड़)** निवासी ग्राम शिवाना थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 03.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 559/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 स्कॉर्पियो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 02/03.11.2026 को थाना छपार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–हर्ष घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–उज्जवल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 स्कॉर्पियो वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हर्ष शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त हर्ष थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हर्ष निवासी साकेत कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर।

2–उज्जवल निवासी इन्द्रा कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 स्कॉर्पियो वाहन आदि।

जनपद गाजीपुर/थाना नन्दगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.11.2026 को थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धामपुर घरवा मोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ओसियर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद चन्दौली, गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शादियाबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओसियर निवासी ग्राम लखईपुर अवन्ती थाना धीना जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना बक्शा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 03.11.2026 को थाना बक्शा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शम्भूगंज हाईवे पुलिया के पास से अभियुक्त निकेत उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर चोरी

की घटना का अनावरण किया गया एवं 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.11.2026 को थाना बक्शा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बक्शा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बक्शा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निकेत उर्फ भोलू निवासी भुलनिया थाना सरपतहां जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

जनपद शामली/थाना थानाभवन

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 28 हजार 400 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 03.11.2026 को थाना थानाभवन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–वारिस 2–कुर्बान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 28 हजार 400 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01/02.11.2026 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वारिस निवासी ग्राम हिण्ड थाना थानाभवन जनपद शामली।

2–कुर्बान निवासी ग्राम हिण्ड थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 28 हजार 400 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सुलतानपुर/थाना मोतिगरपुर/जयसिंहपुर

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 864.41 ग्राम अवैध स्मैक**
- **3 हजार 210 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 03.11.2026 को थाना मोतिगरपुर व थाना जयसिंहपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैथवारा मोड़ के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 05 अभियुक्तों 1–दिनेश 2–अंकित 3–चित्रांश 4–अभिषेक 5–आदित्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 864.41 ग्राम अवैध स्मैक, 3 हजार 210 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त अंकित के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त आदित्य के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मोतिगरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी दियरा बाजार, थाना मोतिगरपुर, जनपद सुलतानपुर।

2–अंकित निवासी चौपरिया, थाना लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर।

3–चित्रांश निवासी मलवा, थाना मोतिगरपुर, जनपद सुलतानपुर।

4–अभिषेक निवासी मलिकपुर बखरा, थाना मोतिगरपुर, जनपद सुलतानपुर।

5–आदित्य निवासी धरसौली, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1–लगभग 03 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 864.41 ग्राम अवैध स्मैक। 2–3 हजार 210 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन आदि।

- **जनपद जौनपुर/थाना महराजगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना महराजगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नितेश उर्फ भोलू 2–कृपाशंकर 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 63–63 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जीतू 2–सागर को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास व 63–63 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना कप्तानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बृजेश 2–गोरख 3–प्रदीप को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————